राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या
58 / 2025

रजू दिनांक
17.01.2025

निर्णय दिनांक 5-1-26

उनवान

1. चरणसिंह पुत्र स्व. सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
2. धर्मवीर पुत्र स्व. सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
3. रामानन्द पुत्र स्व. सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
4. गंगादेवी पत्नी स्व. चन्दनसिंह पुत्र स्व. सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
5. महेन्द्रसिह उम्र 52 साल पुत्र स्व चन्दनसिंह पुत्र स्व सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल
6. कर्णसिंह उम्र 50 साल पुत्र स्व त्चनसिह पुत्र स्वः सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल
7. समुंदरसिह उम्र 48 साल पुत्र स्व धन्दनसिंह पुत्र स्व सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
8. पृथ्वीसिह उम्र 46 साल पुत्र स्व चन्दनसिंह पुत्र स्व सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल
9. भरतसिह उम्र 44 साल पुत्र स्व चन्दनसिंह पुत्र ग्व सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
10. रविन्द्र चौधरी उम्र 42 साल पुत्र स्व. चन्दनसिंह पुत्र स्व सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी अडीन्द तहसील माढण जिला कोटपूतली बहरोड़

.....वादीगण

बनाम

1. जगवीर पुत्र भगवान जाति जाट, निवासी अर्डीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
2. प्रदीप पुत्र भगवान जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
3. ममता पुत्री भगवान जाति जाट निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ हाल आबाद पत्नी श्री पप्पू उर्फ ओमबीर निवासी सुलखा तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि.) 123401
4. होशियार पुत्र भगवान जाति जाट, निवासी अडीन्व, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
5. जयदयाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
6. धीरसिंह उर्फ लाला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
7. बबली पत्र किताबो पत्नी लीलाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
8. मुन्नी पुत्री किताबो पत्नी लीलाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
9. नीरज पुत्र माया देवी पत्नी रमेश जाति जाट निवासी तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरि (पुत्री लीलाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द तहसील माढण)
10. होशियार पुत्र माया देवी पत्नी रमेश जाति जाट निवासी तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि (पुत्री लीलाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द तहसील माढण)
11. लक्ष्मी पुत्री माया देवी पत्नी रमेश जाति जाट निवासी तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरि (पुत्री लीलाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द तहसील माढण)
12. अमरसिह पुत्र जगमालसिह जाति जाट, निवासी अडौन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

13. कर्मवीर पुत्र जगमालसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
14. दौलतराम पुत्र सुमेरसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
15. प्रकाश पुत्र रामफूल जाति जाट, निवासी अडीन्द तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
16. प्रदीप पुत्र कर्णसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
17. पवन पुत्र रामफूल जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
18. बलजीत पुत्र माडाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
19. बाला पुत्री जगमालसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
20. भतेरीदेवी पत्नी कर्णसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
21. रत्ना देवी पत्नी जगमालसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
22. राजकुमार पुत्र माडाराम जाति जाट निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
23. राजेन्द्र सिह पुत्र छाजूसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
24. राजपाल सिह पुत्र जगमाल सिंह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
25. राजवीर पुत्र रामफूल जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
26. राजेश कुमार पुत्र छाजूसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
27. सुनीता पुत्री जगमालसिह जाति जाट; निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
28. सुनील कुमारी पुत्री कर्णसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
29. सूरजमुखी पत्नी माडाराम जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
30. सुषमा पुत्री कर्णसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
31. चन्द्रकला उर्फ चन्द्र पुत्री सतकौर पत्नी शेरसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज) हाल आबाद पत्नी श्री सुमेर उर्फ बिल्लू, निवासी खानपुर, तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम (हरि) 122414
32. रजनी पुत्री सतकौर पत्नी शेरसिंह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) हाल आबाद पत्नी श्री नवीन निवासी खोरी तहसील मनेठी जिला रेवाड़ी (हरि.) 123101
33. सुषमा पुत्री सतकौर पत्नी शेरसिह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) हाल आबाद पत्नी श्री मनोज निवासी खोरी तहसील मनेठी जिला रेवाड़ी (हरि) 123101
34. चन्द्रभान पुत्र सतकौर पत्नी शेरसिंह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
35. सुरेन्द्र पुत्र सतकौर पत्नी शेरसिंह जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

36. कृष्णा पत्नी वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
37. अश्वनी पुत्र वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
38. अजय पुत्र वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवाली अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
39. रेखा पुत्री वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड (राज) हाल आबाद पत्नी श्री नवीन निवासी बासनी तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा 301401
40. सुनीता पुत्री वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज) हाल आबाद पत्नी श्री धन्नाराम निवासी बासनी तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा 301401
41. सोनू पुत्री वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) हाल आबाद पत्नी श्री बलजीत निवासी बासनी तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा 301401
42. प्रियंका पुत्री वेदपाल पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) हाल आबाद पत्नी श्री दीपक निवासी बासनी तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा 301401
43. साहबसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट, निवासी अडीन्द, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
44. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सकतपुरा बावद तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली बहरोड़
45. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा घीलोठ, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली बहरोड़
46. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नीमराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली बहरोड़
47. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा घीलोठ, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली बहरोड़
48. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माजरा, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
49. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माढण, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड़
50. उप पंजीयक नहोदय कार्यालय माढण, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
51. भूमिधारी तहसीलदार कार्यालय माढण, तहसील माढण, जिला कोटपूतली बहरोड
52. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक बजरिये दुरुस्ती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थितिः— 1. श्री राधेश्याम यादव अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थी की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र सामरिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:—

वादीगण ने यह वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट आराजी खसरा नं. हाल 680 रकबा 0.16 है0, 681 रकबा 0.16 है0, 679/790 रकबा 0.60 है0, 679 रकबा 0.81 है० तथा खसरा नम्बर 682 रकबा 0.85 है0, 683 रकबा 0.90 है0 जिनमे से उपरोक्त खसरा नम्बर 681 रकबा 0.81 है० व 679/790 रकबा 0.60 है0 के नये खसरा नम्बर 679 रकबा 0.81 है0 का 679/838 तथा 790/839 रकबा 0.11 है0 बंदोबस्त संवत् 2042 के बाद कायम किया गया है, तथा उक्त हाल खसरा नम्बरान को बदोबस्त संवत् 2042 में साबिक खसरा नम्बर 476/653 रकबा 10 बिस्वा, 476/654 रकबा 15 बिस्वा तथा 476 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा व 563 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 564 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा से कायम किये गये है, तथा उक्त खसरा नम्बरान बंदोबस्त संवत् 2020 में उससे पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 342 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, 343 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, एव संवत् 2020 के खसरा नम्बर 563 व 564 को मिलान क्षेत्रफल संवत् 2020 में साबिक खसरा नम्बर 543/353 रकबा 18 बिस्वा व 543/353 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा से कायम किया जाना दर्ज किया है जबकि मुताबिक मौका कब्जा व नक्शा हाल व नक्शा संवत् 2020 तथा नक्शा मसाबी तीनो के मिलान किये जाने से संवत् 2020 के खसरा नम्बर 363 व 364 दोनों ही साबिक खसरा नम्बर 353 से कायम तितम्बा नम्बर 533/353 व 534/353 से कायम किये गये वाके ग्राम अर्डीन्द तहसील माढण में स्थित. है। जिसे वाद पत्र के समस्त पदों में विवादित आराजी से सबोधित किया जा रहा है।

विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2011 के साबिक खसरा नम्बर 342 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के सालिम के निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार वादीगण के बुजुर्ग सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल मुताबिक खेवट संख्या 8 में दर्ज खाता संख्या 44 व 45 के कालम संख्या 4 पर सुरतिया मुन्दर्जे खेवट संख्या 7 के दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार से मौके पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण दावा के पद सख्या 2 में वर्णित आराजी के निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष निष्फ भाग के खातेदार प्रतिवादीगण के पूर्वज है।

दौराने बंदोबस्त संवत 2020 बंदोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर कायम करते समय गलती व लापरवाही से, बिना मौका व बिना कब्जा देखे तथा बिना साबिक रिकॉर्ड देखे खसरा नम्बर 476/653, व खसरा नम्बर 563 को मिसल बदोबस्त क्रम सख्या 72 पर भगवान वल्द पतत्तू प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम से गलत खातेदारी प्रविष्टि दर्ज कर दी गई तथा इसी प्रकार से क्रम सख्या 87 पर खसरा नम्बर 564 व 476/654 को रामू वल्द भागीरथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में गलत खातेदारी प्रविष्टि दर्ज कर दी गई, तथा इसी प्रकार क्रम सख्या 55 पर खसरा नम्बर 476 का बिना साबिक रिकॉर्ड देखे उसकी राजस्व रिकॉर्ड में प्रभाती वल्द भानू के नाम से प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गई। जबकि बंदोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारियो को ऐसा करने का कानून में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था ।

दौराने बंदोबस्त संवत 2042 में भी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.16 है० व 683 रकबा 0.90 है० को सवत 2020 में दर्ज गलत खातेदारी रामू वल्द भागीरथ के नावल्द बिना शादी फौत होने के कारण उसके भाई मोहरसिह के वारिस हरचन्द की संतान जगमाल सिंह, रामफूल सिंह, सुमेर सिंह, माडाराम पि० हरचद पुत्र रामू, ब्रह्मादेवी पुत्री हरचंद पुत्र रामू, राजेश कुमार राजेन्द्र सिंह, पि० छाजुसिंह पुत्र रामू दर्ज कर दी गई। तथा शेष खसरा नम्बरान 680, 679/790, 679, 682 पर बंदोबस्त संवत 2020 में दर्ज गलत प्रविष्टि को ही रिपीट कर दिया गया जो गलत प्रविष्टि आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात, खसरा गिरदावरीजात आदि ने बदस्तूर चली आ रही है। जो वादीगण के हक हकूको के विरुद्ध बातिल व बेअसर तथा प्रभावशून्य व प्रभावहीन है । उक्त गलत राजस्व प्रविष्टियों को कलमजन किया जाकर वादीगण को आराजी के निस्फ

उपखण्ड अधिकारी
मीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

भाग पर अपने पूर्वज सूरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल की विरासत में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराकर दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

आराजी खसरा नम्बर हाल 683 रकबा 0.90 है० जो बंदोबस्त सवत 2020 में गलत राजस्व प्रविष्टि रामू वल्द भागीरथ के नाम से दर्ज की गयी थी। लेकिन उक्त आराजी कभी भी रामू वल्द भागीरथ की अकेले की खातेदारी की आराजी नहीं रही जिसके निष्फ भाग के खातेदार हम वादीगण के पूर्वज सुरतिया उर्फ सूरतसिंह रहे है तथा किताबोदेवी रामू पुत्र भागीरथ के खानदान की है तथा उक्त गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर रामू पुत्र भागीरथ के स्थान पर उनके पूर्वजों में से हरचंद के वारिसान ने दौराने बंदोबस्त अकेले अपने नाम से बाला बाला सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली तथा जिस तरह हम वादीगण के पूर्वज की खातेदारी प्रविष्टि को बंदोबस्त संवत 2020 में हटा दी गई व सम्पूर्ण केवल हरचंद के वारिसान के नाम हाल राजस्व प्रविष्टि होने के कारण किताबो देवी बगैराह व हरचंद के वारिसान जगमाल सिह वगैराह दोनों पक्षों में बेईमानी आ जाने के कारण उनको यह पता होते हुए कि उक्त आराजी में निरफ भाग सूरतसिह के वारिसान का है उसके बावजूद बाला बाला व साजिशी रूप से हम वादीगण अर्थात सूरतसिंह के वारिसान को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये किताबो देवी वगैरा ने एक वाद पत्र बाबत दुरुस्ती न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर बहरोड के समक्ष बअनुवान धीरसिंह वगैरा बनाम जगमालसिंह वगैराह मु.न. 294/2008 प्रस्तुत किया गया है। जिस वाद पत्र को न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.03.2010 के द्वारा डिक्री किया गया तह उस निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 683 को धीरसिंह, किताबो, बबली, माया मुन्नी आदि प्रतिवादीगण ने इजराय के द्वारा गलत खातेदारी प्रविष्टि अपने नाम से दर्ज करवा ली जो निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2010 व उसके आधार पर कायम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात खसरा गिरदावरीजात की राजस्व प्रविष्टि हम वादीगण के विरुद्ध प्रभावशून्य व प्रभावहीन है।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 30.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त अनुवानी दावा वादीगण द्वारा बिना वाद कारण के मनमाने तथ्यो के आधार पर वास्तविकता को छुपाते हुऐ हम प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद की बाबत पेश किया गया है जो दावा आदेश 7 नियम 11 जा०दी० की परिधि में आता है इसलिए वादीगण का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने योग्य है। खारिज फरमाा जावे।

उक्त अनुवानी दावा मे वादीगण द्वारा संवत 2011 की जमाबन्दी के खेवट सं० 8 के खाता सं0 44 व 45 को आधार मानकर यह दावा पेश किया गया। जिसका वादीगण द्वारा गलत अर्थ लगाकर तथा गलत तथ्य अंकित करते हुऐ यह दावा पेश किया गया है। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि संवत 2020 से पुर्व संवत 2003 की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 28, 34, 342, 17 वाके ग्राम अर्डींद के निष्फ भाग का खातेदार वादीगण का बुजूर्ग सुरतिया उर्फ सुरताराम तथा निष्फ भाग का खातेदार प्रतिवादीगण का बुजूर्ग रामू वगै० था। जो इसी प्रकार से मौके पर काबिज थे तथा संवत 2011 मे उक्त दोनों खातेदारों द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि का बंटवारा करवा लिया गया। जिस बंटवारा के मुताबिक खेवट स० 8 के खाता सं0 42 व 44 के खसरा नम्बर 342, 34 हम प्रतिवादीगण के बुजूर्ग रामूवगै० के हिस्से में दर्ज किये गये तथा खेवट सं० 8 के खाता सं0 45 व 46 के खसरा नम्बर 17, 28 वादीगण के बुजूर्ग सुरतिया उर्फ सुरतारम के हिस्से में दर्ज कर दिया गया। जैसाकि संवत 2011 की जमाबन्दी मे अंकित किया हुआ है। लेकिन वादीगण द्वारा केवल हम प्रतिवादीगण के बुजूर्ग के हिस्से के खसरा नम्बर 342 मे अपना निष्फ भाग बताते हुये यह दावा गलत पेश किया गया है।

इसी प्रकार से सवत 2020 से पूर्व के खसरा नम्बर 533/353, 534/353 वाके ग्राम अर्डींद को हम वादीगण के बुजूर्ग द्वारा रहन छुडवाया गया था। जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 533/353 इंतकाल सं० 133 के जरिये तथा खसरा नम्बर 534/353 इंतकाल स० 132 दिनांक 19.02.1948 को हम प्रतिवादीगण के बुजूर्ग रामू वगै० के नाम से दर्ज हुई है। जो खेवट संख्या 11 व 10 है। जो खातेदारी बदस्तूर पीढी दर पीढी हम प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होती चली

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली...)

आ रही है। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान से वादीगण एवं उनके बुजूर्गो का कभी किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। लेकिन इन खसरा नम्बरान मे भी अपना निष्क भाग बताते हुऐ यह दावा बिना हक व अधिकार के पेश किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा यह दावा बिना किसी टाईटल के व बिना कब्जा के वास्तविक तथ्यों को जानबुझकर छुपाते हुऐ पेश किया गया है इसलिए वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा०दी० की परिधि में आने के कारण चलने योग्य नही है।

वादीगण व उनके बुजूर्गो को आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी इन्द्राज एवं मौके पर कब्जा काश्त की शुरू से ही जानकारी रही है। लेकिन वादीगण द्वारा विनाय दावी दिनांक 05.12.2024 अंकित की गई है। जबकि दावा में वर्णित आराजी की बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड के समक्ष राजस्व वाद सं० 294/2008 उनवान धीरसिंह वगै० बनाम जगमालसिंह वगै० की वादीगण को पूर्ण जानकारी थी वादीगण द्वारा ही यह दावा धीरसिंह वगै० को बहका कर करवाया था। जिस दावा मे प्रतिवादीगण की तामिल न्यायालय द्वारा भेजी गई जिन तामिलों पर बतौर गवाह के रूप मे वादीगण के बुजूर्ग चन्दन पुत्र सूरतसिंह ने अपने हस्ताक्षर किये है। इसलिए दावा मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी की वादीगण को उसी समय से पूर्ण जानकारी थी लेकिन अब वादीगण द्वारा जानकारी की तारीख 05.12.2024 अंकित कर यह दावा पेश किया गया है। जो दावा बिलकुल मियाद बाहर पेश किया गया है और विनाय दावी व विनाय मुखास्मत की तारीख गलत व मनमानी दर्ज की गई है। इसलिए भी वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० की परिधि में आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है खारिज किया जावें।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् नकल वकील अप्रार्थी/वादीगण को वास्ते जवाब पेश करने दी गई। वकील वादीगण/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे यह कहना गलत है कि उभय पक्षकार खातेदारों द्वारा संवत 2011 में कोई बंटवारा किया गया हो ना ही राजस्व रिकार्ड मे बाबत बटवारा कोई इतकाल ही दर्ज हुआ ना ही बंटवारा की कोई प्रविष्ट दर्ज हुई इसलिए यह कहना गलत है कि खेवट नं. 8 के खसरा नम्बर 342 34 प्रतिवादीगण के बुजूर्ग रामू वगै० के हिस्से में आये हो दावा मुताबिक जमाबन्दी संवत 2015 के सही पेश किया है। यदि बंटवारा पूर्व में हो जाता तो जमाबन्दी संवत 2015 मे वादीगण के नाम की प्रविष्ट नही आती, प्रार्थना पत्र के शेष कथन बाबत खसरा नम्बर 533/353 व 534/353 गलत है स्वीकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना पत्र के इसी पद में जमाबन्दी संवत 2003 मे निष्क भाग वादीगण व निष्फ भाग प्रतिवादीगण का होना स्वीकार किया है। यदि बाद मे कोई बंटवारा होता तो उसका इंतकाल भी दर्ज होता। उसका कोई विवरण नहीं हैं तथा यह सभी तथ्य बाद साक्ष्य सबूत विधि व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न होने से साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है। ना ही यह तथ्य आदेश 7 नियम 11 जा०दी० की परिधि में आते हैं। इसलिए भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। यह कहना गलत हैं कि गलत राजस्व प्रविष्ट की पुर्व से ही वादीगण को जानकारी हो। तथा जहां तक प्रश्न मुकदमा न 294/2008 धीरसिंह बनाम जगमालसिंह वगै० का बहकाकर करवाने का है वो भी गलत है कोई किसी के बहकावे में आकर मुकदमा नही करता तथा इसी मुकदमे की तामिल पर बतौर गवाह वादीगण के बुजूर्ग चन्दन पुत्र सूरतसिंह के हस्ताक्षर होना बताया है इसका तात्पर्य यह नही है कि किसी मुकदमा की तामिल पर गवाह के रूप मे हस्ताक्षर हो तो उसको मुकदमे के सभी तथ्यों की जानकारी हो जाती हो या तामिल की गवाही से राजस्व रिकार्ड की जानकारी हो जाती हो। इस प्रकार से प्रतिवादी सं० 1 द्वारा बिना वजह प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र गलत एवं मनमाने तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है तथा जहा तक दावा मियाद बाहर पेश होने का प्रश्न है उस बाबत यह निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के दुरूस्त की घोषणा बाबत है। जो

उपखण्ड अधिकारी

अधिनियम के तृतीय अनुसूची में आने से ऐसे प्रकरणों की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद मियाद बाहर होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है खारिज किया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने सूचीफेहरिस्त के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2042–61, मिलान क्षेत्र संवत् 2042, जमाबन्दी संवत् 2054, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2020, नकल जमाबन्दी हाल, नकल रजिस्टर दाखिला, नकल जमाबन्दी 2011, नकल जमाबन्दी 2005, नकल दावा धीरसिंह बनाम जगमालसिंह, नकल जमाबन्दी संवत् 2007, नकल जमाबन्दी संवत् 2019 पेश किये। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2011 के अवलोकन से साबित हैं कि जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 जागीरदार/उप जागीरदार के कॉलम में रामू वगै0 मुन्दर्जे खेवट नं. 5 निस्फ सुरतिया वगै0 मुन्दर्जे खेवट नं. 7 निस्फ दर्ज हो रहा हैं तथा काश्त कॉलम संख्या 5 कृषक विवरण में खाता संख्या 42 पर खुद काश्त खसरा नं. 342 व खाता संख्या 44 रामू, कौरचन्द, लालाराम भाग 1/3, भगवाला 1/3, भाता 1/3 हिस्सेदारान् खसरा नं. 34 इस अंकन से साबित हैं कि खेवट नं. 5 व 7 में वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान निस्फ निस्फ भाग के काश्तकार थे। जमाबन्दी के खाता संख्या 42 व 44 के अवलोकन से साबित हैं कि संवत् 2011 में वे अपनी आराजी का विभाजन कर पृथक–पृथक कर काबिज काश्त थे। खाता संख्या 45 पर सुरतिया हिस्सेदार खसरा नं. 17, 393 पर सुरतिया की काश्त होना दर्ज हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व व उसके पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान पृथक पृथक आराजी पर काबिज काश्त थे। संवत् 2011 की जमाबन्दी से उनके द्वारा आराजी विवादित का बंटवारा किया जाना साबित होता हैं। जमाबन्दी संवत् 2019 के अवलोकन से साबित हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण के इस जमाबन्दी में भी पृथक पृथक खाते कायम किये हुए हैं। प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम खाता संख्या 107 व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुरतिया के नाम खाता संख्या 127 का अंकन हो रहा हैं तथा खाता संख्या 67 पर प्रभाती वल्द भाना के नाम का अंकन हो रहा हैं जिससे साबित हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय जिस जिस आराजी पर काबिज काश्त थे उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही तौर पर अंकन होता चला आ रहा हैं। इस प्रकार वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बाध्य हैं। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत तथा वादीगण का वाद वर्तमान स्टेज पर ही काबिल खारिज हैं।

अतः आदेश हैं किः–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट बाबत हाल खसरा नं. 680 रकबा 0.16 है0, 681 रकबा 0.16 है0, 679/790 रकबा 0.60 है0, 679 रकबा 0.81 है०, 682 रकबा 0.85 है0, 683 रकबा 0.90 है0, 681 रकबा 0.81 है० व 679/790 रकबा 0.60 है0, 679 रकबा 0.81 है0 का 679/838 तथा 790/839 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम अर्डीन्द तहसील मांढण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में होने के कारण वादीगण का वाद वर्तमान स्टेज पर ही खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 5-1-26 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपुतली–बहरोड़